तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ...
27-2-18	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 20-3-18 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी मण्डल
20-3-18	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 10-4-18 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी मण्डल
10-4-18	पत्रावली पेश हुई, वकलाय फरिकेन उपस्थित। विपक्षी सं. 2, 3, 4, 5, 6, 7 की ओर से जवाबदावा/बहस आयन्दा पेश करना चाहते है वास्ते जवाबदावा/बहस हेतु पत्रावली दिनांक 24-4-18 को पेश हो।
24-4-18	पत्रावली पेश हुई, वकलाय फरिकेन उपस्थित। प्रतिवादीगण सं. 1 से 12 की ओर से अधिकार पत्र श्री अशोक कुमार श्रोत्रिय एडवोकेट ने पेश किया। जिसे शा० प० किया गया। T.R.R मांडल से मांगी रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० किया गया। एवं विपक्षीगण की ओर से जवाबदावा पेश किया जिसे शा० प० किया जाकर नकल वादीगण अधिवक्ता को दिलायी गयी। वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 15-5-18 को पेश हो।
11-6-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प केरिया मे पेश हुयी। प्रार्थी भँवरलाल पिता सुखदेव शर्मा निवासी केरिया वगैरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A RTA के तहत पेश कर अनुतोष चाहा है कि ग्राम केरिया पटवार हल्का केरिया तहसील मांडल मे प्रार्थीगण की स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारो आराजियात पर प्रार्थीगण के आने-जाने एवं कृषि उपकरण संज, बैलगाडी, ट्रैक्टर, मवेशी लाने ले जाने के एक मात्र सरल सुगम बिलानाम सरकारी रेकार्डेड रास्ता आराजी नम्बर 1634 किस्म गै० मु० से लगता हुआ है। से 20 फिट चौडा रास्ता

भवरलाल
हीरालाल
नानूराम
दौलत

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
जो विपक्षी । लगायत 13 की आ० नं० 3105/1599 रकबा 4.05 बीघा की उतरी पाश्चिमी मेड के सहारे होता हुआ विपक्षी सं० 1 व 5 की आ० नं० 1482 रकबा 2 बीघा के मध्य में होता हुआ प्रार्थीगण की आ० नं० 1491/1 मे जाता है जिसे राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप मे दर्ज कराया जावे। प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणो को नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगणो ने जवाब पेश किया कि प्रार्थीगणो द्वारा जो प्रार्थना चाही गई वह किसी कदर प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नही है क्यो कि प्रार्थीगण की आराजियात मे आने जाने का वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी सं० 8 की आराजी संख्या 1508, 1513, 1514 मे है। व आराजी सं० 1493 व 1492 प्रार्थी संख्या 7 की है प्रार्थीगण ने विपक्षीगण जवाबदाता को परेशान करने की गरज से एव विपक्षीगण की आराजियात मे नये सिरे से रास्ता कायम करने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य है। तहसीलदार मांडल की रिपोर्ट अनुसार मौके पर आ० नं० 3105/1599 से जाने वाला रास्ता आ० नं० 1482 से होकर आ० नं० 1491 तक जाने का कोई विद्यमान नही है। मेरे द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र, प्रतिवादी का जवाब एव रिपोर्ट तहसीलदार मांडल का अवलोकन किया गया व मनन किया गया। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र त्रुटि पूर्ण होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	